

आदेश क्रमांक जी-1/02/1389-92

दिनांक 20-03-2002

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थायी मान्यता ।

Prince International School, Dabua Colony, Gajipur Road
N.I.T.FBD को (01-04-2002)

कक्षा छठी से आठवीं तक मिडिल विभाग तक की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1- संस्था शिक्षा हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मांग नहीं करेगी, तथा अपने ही छात्रों पर स्कूल चलायेगी ।
- 2- भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय से किसी भी सभी रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखा जायेगी ।
- 3- विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के छः मास के वेतन के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लेज कराएंगे । यदि राशि प्लेज न करायी तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
- 4- वेतन का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा ।
- 5- सभी अध्यापकों को सी पी एफ की राशि स्थानीय बैंक में जमा करायी जाये ।
- 6- संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजुकेशन बोर्ड की शर्तों को पूरा करना होगा ।
- 7- सा. डटल्यू यू. एफ. रेडक्रास तथा स्पोर्ट्स फंड की राशि का शेयर विभाग के अनुसार के नियमानुसार हर वर्ष अलग से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दी जाये ।
- 8- शिक्षा विभाग को कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय बैंक कर सकता है ।
- 9- एजुकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा ।

(HARBANS LAL)
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

पूरा क्रमांक सम

दिनांक

इसकी एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निर्देशांक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा कण्ठीगढ़ ।
2. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, पतवल/ फरीदाबाद ।
3. संबंधित विद्यालय
4. बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवाना ।

Harbans Lal
जिला शिक्षा अधिकारी, 03-2002
फरीदाबाद ।